संख्या- 83 / 3739 / चार-2015-135(विविध)/2005 टीसी

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त , 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 310/चार-2014-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 17 जुलाई,2014, शासनादेश संख्या- 1534/चार-2014-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 09 सितम्बर,2014 तथा शासनादेश संख्या- 24/996/चार-2015-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 19 मार्च,2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या- 310/चार-2014-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 17 जुलाई,2014 , शासनादेश संख्या- 1534/चार-2014-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 09 सितम्बर,2014 तथा शासनादेश संख्या- 24/996/चार-2015-135(वि)/2005 टीसी, दिनांक 19 मार्च,2015 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध आदि यथावत रहेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक "4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -30- आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी, लखनऊ में कला केन्द्र के निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या -83 / 3739 (1)/चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- नगर आयुक्त , नगर निगम लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
7- सचिव, आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, गुरूद्वारा रोड , पेपर मिल कालोनी लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।
10- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।